

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1984/चैत्र 13, 1906
No. 158] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1984/CHAITRA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984

का. आ. 245 (अ) :—केंद्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक

विभाग) के आदेश सं. का. आ. 9 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1980 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (3) में “31.60” और “50.40” अंकों के स्थान पर, “35.22” और “54.37” अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 8 (113)/80-अधिसूचना (2)]

ई. एन. मूर्ति, उप-सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 9 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1980 का बाद में संशोधन नहीं किया गया है ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1984

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by subparagraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Deptt. of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 9(E), dated the 31st December, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said Order, in column (3) for the figures “31.60” and “50.40” the figures “35.22” and “54.37” shall be substituted.

[No. 8(113)/80-Drug.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

NOTE : The principal Notification No. 9(E) dt. 31st December, 1980 has not been subsequently amended.